

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक ई० विपिन बिहारी मिश्र  
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।  
सेवा में,  
सभी मुख्य अभियंता (यॉंत्रिक सहित),  
जल संसाधन विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक- 19/08/2014.

विषय:-SBD /MBD/CMBD/NH SBD पर आधारित निविदाओं के तकनीकी बीड के निष्पादन हेतु Eligibility Criteria के संबंध में।

प्रसंग:-पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-प्र०6/द०बि०-नियम-03-02/04-6158 (S) दिनांक 09.07.2014 महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के माध्यम से पथ निर्माण विभाग, बिहार के द्वारा F<sub>2</sub>, SBD (Standrad Bidding Document), MBD (Model Bidding Document), CMBD ( Construction Maintenance Bidding Document) आधारित निविदाओं के तकनीकी बीड का मूल्यांकन हेतु Criteria निर्धारित किया गया, जिसकी छाया प्रति संलग्न है।

उक्त संदर्भ में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत निदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाए एवं तकनीकी बीडों के मूल्यांकन को सरल बनाने के उद्देश्य से संलग्न पत्र में निर्धारित Criteria का अनुपालन पत्र निर्गत की तिथि से सुनिश्चित किया जाय।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

*[Signature]*  
(विपिन बिहारी मिश्र)

संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

जापांक-

686

पटना, दिनांक

19-08-2014

प्रतिलिपि माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख (उत्तर/मध्य), जल संसाधन विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग संगठन/ सभी संयुक्त सचिव/अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०:-यथोक्त।

*[Signature]*  
(विपिन बिहारी मिश्र)

संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

EE-3

Pl. upload on website  
09/08/14  
(का० क्र०-4)

o/c

बिहार, सरकार  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक-प्र06/द(बि0-नियम-03-02/04

पटना, दिनांक

प्रेषक,

राम प्रकाश सिंह  
संयुक्त सचिव (प्रबंधन कोषांग)  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

3/अं०(प्र०-1)

सेवा में,  
06/08/14

2104/नम  
04/08/14

विषय:-

सभी मुख्य अभियंता (रा०उ०प० सहित)  
सभी अधीक्षण (रा०उ०प० सहित)  
सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०प० सहित)  
SBD/MBD/CMBD/ NH SBD पर आधारित निविदाओं के तकनीकी बीड के निष्पादन हेतु Eligibility Criteria के संबंध में।

प्रसंग:-

विभागीय पत्रांक-6866 (E) दिनांक-15.10.2012, 3376 (E) दिनांक-17.08.2010 एवं 4919 (S) दिनांक-13.05.2006


महाशय

निदेशानुसार कहना है कि F<sub>2</sub>, Standard Bidding Document (SBD), Model Bidding Document (MBD), Construction Maintenance Bidding Document (CMBD) आधारित निविदाओं के तकनीकी बीड का मूल्यांकन, उक्त bidding documents के Instruction to Bidder, Qualification Criteria एवं विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य मापदण्डों के आधार पर किया जाता है। कभी-कभी, अलग-अलग व्याख्या किए जाने के कारण तकनीकी बीड के मूल्यांकन के मापदण्ड में भिन्नता पायी जाती है।

224/प्र० 2104

म  
21/8/14

2. पथ निर्माण विभाग में बिहार पथ आरितियाँ अनुसंधान नीति 2013 के अन्तर्गत प्राप्त की जाने वाली निविदायें MBD एवं CMBD पर प्राप्त की जाती है, जिसमें निविदा की न्यूनतम राशि की कोई सीमा नहीं है। वैसे कार्य जिसका निविदा MBD, CMBD पर नहीं की जा सकती है, का निविदा SBD एवं अन्य Bidding Documents पर प्राप्त की जाती है। MBD एवं CMBD पर प्राप्त की जाने वाली निविदाओं के तकनीकी बीड मूल्यांकन के लिए लगभग समान मापदण्ड है।





3. बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 द्वारा विभाग में निबंधन की प्रक्रिया को काफी सरल किया गया है ताकि बिना कार्य अनुभव वाले संवेदक भी निबंधन कराकर निविदाओं में भाग ले सकते हैं। अतः इस परिपेक्ष्य में भी उक्त मानक अहर्ता में संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होता है।

4. अतः तकनीकी बीडों के मूल्यांकन को सरल बनाने के उद्देश्य से सम्यक् विचारोपरान्त निम्नांकित मूल्यांकन Criteria निर्धारित किए जाते हैं:-

4.1 ₹50.00 लाख से ₹2.00 करोड़ तक के कार्यों के लिए तकनीकी बीड मूल्यांकन में निम्नांकित मापदण्ड निर्धारित किया जाता है:-

4.1.1 निविदा में भाग लेने वाले संवेदक विभाग के समुचित श्रेणी में निबंधित हो तथा अद्यतन निबंधन प्रमाण-पत्र निविदा के साथ संलग्न हो।

4.1.2 निविदा सूचना में अंकित परिमाण विपत्र का मूल्य एवं अग्रधन की राशि निर्धारित स्वरूप में समुचित रूप से संलग्न किया गया हो।

4.1.3 संबंधित कार्य के लिए न्यूनतम आवश्यक Key equipments के availability (either owned or leased or by procurement) का प्रमाण।

4.1.4 निविदित कार्य के समरूप न्यूनतम एक कार्य (minimum one similar work), जिसका न्यूनतम प्राक्कलित राशि निविदित कार्य के प्राक्कलित राशि का 10% हो, का क्रियान्वयन इच्छुक संवेदक द्वारा पूर्व में किया गया हो यह आवश्यक होगा।

4.1.5 निर्धारित आशय का शपथ-पत्र (Affidavit) निविदा के साथ संलग्न किया गया हो।

" I, the Undersigned, do hereby certify that all the statements made in the required attachments are true and correct and if found fake/ forged, the undersigned will be liable to be inflicted upon the FIR and lawful punishment as well as black listing"

₹2.00 करोड़ तक की राशि में उपर्युक्त दस्तावेजों को संलग्न करने वाले संवेदकों को तकनीकी बीड में सफल घोषित किया जायेगा।

5. SBD आधारित 2.00 करोड़ से उपर की निविदाएँ तथा MBD एवं CMBD आधारित सभी प्रकार की निविदाओं के तकनीकी बीड में सफलता के लिए निम्नांकित दो प्रक्रम निर्धारित किये जाते हैं, जिसमें प्रथम प्रक्रम तकनीकी बीड में सफलता के लिए Essential होगा तथा दूसरा प्रक्रम पर संवेदको से Clarification एवं Modification प्राप्त किया जा सकेगा।

5.1 प्रथम प्रक्रम:- यह प्रक्रम निविदाओं के तकनीकी बीड में सफल होने के लिए अनिवार्य होगी। इस प्रक्रम पर असफल पाये जाने वाले निविदाकारों के तकनीकी बीड प्रारंभ में अस्वीकृत होगा एवं किसी भी हालत में विचारणीय नहीं होगा।

5.1.1 प्रथम प्रक्रम में निम्न बिन्दु सम्मिलित होंगे:-

| Qualifying Item                    | As per SBD Clause                             | As per MBD Clause  | As per CMBD Clause                            |
|------------------------------------|---|--|---|
| Registration                       | IFB/ NIT के अनुसार।                           | IFB/ NIT के अनुसार।  | NIT के अनुसार।                                |
| Cost of BOQ                        | As per NIT/BOQ                                | As per NIT/BOQ   | As per NIT/BOQ                                |
| Earnest Money                      | ITB-Cl-16 & IFB                               | Clause-17.2 of ITB & as per N.I.T Sl. No.- 17                        | ITB-Cl-16 & N.I.T Sl. No.-17                  |
| Experience: Similar Nature of Work | ITB Cl 4.5 (A)(b)                             | Section iii 2.4.1 & 2.4.2  | ITB Cl 4.4(A)(b)                              |
| Turn Over                          | ITB-Cl-4.5 (A) (a)                            | Section III 2.3.2  | ITB Cl. 4.4(A)(a)                             |
| Legal Identity                     | ITB-Cl-4.3(a)<br>L.No.8131(S)We<br>dt.24.7.12 | 4.1 of ITB & Form<br>ELI.1.1,1.2,1.3<br>L.No.8131(S)We<br>dt.24.7.12 | ITB-Cl-4.3(a)<br>L.No.8131(S)We<br>dt.24.7.12 |

5.2 द्वितीय प्रक्रम:- इस प्रक्रम पर SBD,MBD एवं CMBD के तहत Eligibility Criteria के निम्नांकित बिन्दुओं के संबंध में निविदाकारों को Clarification & Modification का अपसर दिया जायेगा एवं इस क्रम में उन्हीं कागजातों/अभिलेखों की मान्यता दी जाएगी जो निविदा प्राप्ति की तिथि के पूर्व के होंगे तथा निविदा के साथ अपलोड होंगे। निविदा प्राप्ति के बाद की तिथि के कागजातों/अभिलेखों की अनुमान्यता किसी भी स्थिति में नहीं दी जायेगी।

द्वितीय प्रक्रम में सम्मिलित बिन्दु :-

| Qualifying Item                 | As per SBD Clause             | As per MBD Clause             | As per CMBD Clause            |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Technical Personnel             | ITB Cl. 4.5 B (b)             | Section III 2.5               | ITB Cl 4.4 (B)(b)             |
| Key Plant & Equipment           | ITB Cl. 4.5 (B) (a)           | Section III 2.6               | ITB Cl 4.4 B(a)               |
| Experience in terms of quantity | ITB Cl. 4.5 (A)(c)            | Section III 2.4.2 (b)         | ITB Cl. 4.4 (A)(c)            |
| Bid Capacity                    | ITB Cl. 4.7                   | Section III Note Sl. No.3     | ITB Cl 4.6                    |
| Programme of construction       | ITB Cl. 4.3 (l) & 4.5 (B) (a) | Section IV schedule-V         | ITB Cl. 4.3(l)<br>4.4 (B) (a) |
| Power of Attorney               | ITB Cl. 4.2(iv)               | Schedule-VIII<br>From ELI.1.1 | ITB Cl. 4.2(iv)               |
| Liquid asset & Credit Facility  | ITB Cl. 4.5(B)(c)             | Section III 2.3.3             | ITB Cl. 4.4(B)(c)             |



5.3 Litigation History, Investment ability, tender validity Period एवं Non association with departmental officials के अन्तर्गत SBD, MBD एवं CMBD के प्राधान्यों को पूरा करने/पालन करने में जाँच की आवश्यकता नहीं होगी। यदि कोई संवेदक निविदा में भाग लेता है तो यह माना जाएगा कि वे इन शर्तों को पूरा करते हैं। यदि बाद में पता चलता है कि वे इन शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो इसके आधार पर उन्हें किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी, बल्कि इसके लिए उनके विरुद्ध विभाग में लागू बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

5.4 Proposal of Sub-Contract:- जब संवेदक प्राक्कलित राशि के 10 प्रतिशत से अधिक राशि के कार्य को किसी एक सब-कन्ट्रैक्टर से कराने का प्रस्ताव देते हैं तो सब-कन्ट्रैक्टर के विहित योग्यता आदि की जाँच करनी होगी। यदि सब-कन्ट्रैक्टर की योग्यता से विभाग संतुष्ट नहीं हो पाता है तो संवेदक को अपना प्रस्ताव वापस लेना होगा एवं उस भाग के कार्य को भी निविदादाता को स्वयं पूरा करना होगा अन्यथा माना जायेगा कि निविदादाता कार्य कराने में इच्छुक नहीं है इस परिस्थिति में संवेदक के जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।

5.5 Joint Venture:- Joint Venture के रूप में निविदा में भाग लेने हेतु पथ निर्माण विभाग के ज्ञापांक प्र०-6/नियम-02/2010-8131 (एस), पटना दिनांक-24.07.2012 में अंकित शर्तों (परिशिष्ट-1) का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

5.6 निविदा आमंत्रण सूचना में एकरूपता रखने के उद्देश्य से पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-8232 (ई०) दिनांक 18.12.2012 द्वारा निर्गत Model प्रारूप का प्रयोग किया जाय। MBD एवं CMBD में भी NIT का Model प्रारूप संधारित है जिसके अनुरूप ही निविदा आमंत्रण की कार्रवाई की जाय। समय-समय पर विभाग द्वारा किये जा रहे संशोधन जो निविदा आमंत्रण सूचना से संबंधित हो के निविदा आमंत्रण सूचना में समावेशित किया जाये।

5.7 SBD, MBD एवं CMBD के Section-2 के तहत शपथ-पत्र (Affidavit) का प्रारूप संलग्न है। उसके अनुरूप ही शपथ-पत्र प्राप्त किया जाय।

5.8 कार्यानुभव के तहत Common एवं Major item of work के लिए ही अनुभव की मांग की जाए न कि Minor item के लिए। इसके लिए SBD, MBD एवं CMBD में पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 6866 (एस०) दिनांक 15.10.2012 को अनुसरण किया जाय।

उपरोक्त वर्णित मार्गनिर्देश को निविदाओं की विशेष शर्तों में शामिल करने हेतु सभी मुख्य अभियंता अपने-अपने उपभागों में सुनिश्चित करेंगे तथा अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र के अनुमोदन में इसका समावेश करेंगे एवं तदनुरूप ही Bid document अपलोड किया जाए।

उपर्युक्त कंडिकाओं के संबंध में पूर्व से निर्गत एवं प्रासंगिक पत्र/परिपत्र इस हद तक संशोद्धि समझा जाय।

यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

संयुक्त सचिव(प्रबंधन कोषांग)

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- प्र०६/द०बि०-नियम-०३-०२/०४

दिनांक:-

6158(S)

9-7-14

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को Soft copy प्रति के साथ सूचनार्थ एवं विभागीय website पर upload कराने हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव(प्रबंधन कोषांग)

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- प्र०६/द०बि०-नियम-०३-०२/०४

दिनांक:-

6158(S)

9-7-14

प्रतिलिपि

प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

संयुक्त सचिव(प्रबंधन कोषांग)

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- प्र०६/द०बि०-नियम-०३-०२/०४

पटना दिनांक:-

6158(S)

9-7-14

प्रतिलिपि

माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित

संयुक्त सचिव(प्रबंधन कोषांग)

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

08/7/2014

ज्ञापांक:- प्र०६/द०बि०-नियम-०३-०२/०४

पटना, दिनांक:-

1118(S)

31-7-14

प्रतिलिपि अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लोक स्वार अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, मंत्रिमंडल(निगरानी) विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव(प्रबंधन कोषांग)

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

31/7/14

पत्रांक- 1/PMC/विविध/957/2014 50

पटना, दिनांक :- 20/01/2020

प्रेषक,

अरुण कुमार द्विवेदी  
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)  
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (यांत्रिक सहित),  
जल संसाधन विभाग, बिहार।

विषय :- प्रतिशत दर निविदा पद्धति में निविदित दर की न्यूनतम सीमा को तत्काल समाप्त कर परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धत दर वाले निविदा के लिए Additional Performance Guarantee के प्रावधान की स्वीकृति एवं उसके कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देश।

प्रसंग :- पथ निर्माण विभाग का विभागीय अधिसूचना संख्या- 447(S), दिनांक-16.01.2020 एवं पत्रांक- 449(S), दिनांक-16.01.2020

महाशय,


निदेशानुसार कहना है कि उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के माध्यम से पथ निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में लागू प्रतिशत दर निविदा पद्धति में निविदित दर की न्यूनतम सीमा को तत्काल समाप्त कर परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धत दर वाले निविदा के लिए Additional Performance Guarantee के प्रावधान किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।

उक्त अधिसूचना संख्या- 447(S) दिनांक 16.01.2020-सह-पत्रित ज्ञापांक-448(S) दिनांक 16.01.2020 एवं इस अधिसूचना के क्रम में पथ निर्माण विभाग के पत्रांक- 449(S), दिनांक-16.01.2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश को जल संसाधन विभाग में भी तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनु० :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

  
20/01/2020  
(अरुण कुमार द्विवेदी)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक- 1/PMC/विविध/957/2014 50

पटना, दिनांक :- 20/01/2020

प्रतिलिपि :- अभियंता प्रमुख, मुख्यालय/अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण/ अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल-2/3/ कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय/ बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :- यथोक्त।

  
20/01/2020  
(अरुण कुमार द्विवेदी)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

(28/2)

448(S)  
16/01/2020

बिहार सरकार  
पथ निर्माण विभाग  
अधिसूचना

1. पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-2046 (एस) दिनांक-06.03.2014 द्वारा प्रावधान किया गया है कि प्रतिशत दर निविदा (In Percentage Rate Tender) पद्धति में प्राप्त की जाने वाली सभी प्रकार की निविदाओं में निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा, परिमाण विपत्र की दर से 10 प्रतिशत कम पर निर्धारित रहेगी। 10 प्रतिशत से ज्यादा कम दर उद्धृत रहने वाली निविदायें अमान्य मानी जायेगी।

2. मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में कार्य विभागों के साथ बैठकें करके एवं तदोपरान्त समीक्षा में यह महसूस किया गया है कि सभी कार्य विभागों के लिए न्यूनतम सीमा को तत्काल समाप्त करके एक वर्ष के बाद इसकी गुण-दोषों की समीक्षा की जायेगी।

उक्त आलोक में एक निश्चित स्तर (परिमाण विपत्र की दर) के नीचे निविदित दर दिये जाने पर निम्नवत् अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) लेने का प्रावधान किया जाता है:-

(a) परिमाण विपत्र की दर से 0 से 5 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।


(b) परिमाण विपत्र की दर से 5 से 15 प्रतिशत कम उद्धृत कम दर वाले निविदा के लिए 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।

(c) परिमाण विपत्र की दर से 15 से 20 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 01 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।

(d) परिमाण विपत्र की दर से 20 प्रतिशत से ऊपर कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 02 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।


यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी रहेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेशानुसार

  
16.1.2020  
(अमृत लाल मीणा)  
प्रधान सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक- प्र०-6/द०बि० नियम-03-08/2008 (अंश)- 448(S) / पटना, दिनांक 16/01/2020  
प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
16.1.2020  
(अमृत लाल मीणा)  
प्रधान सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।


क०प०उ०



ज्ञापक- प्र०-६/द०बि० नियम-०३-०८/२००६ (अंश)- ४४४ (५) / पटना, दिनांक 16/01/2020

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, ई गजट कोषाग, गजट वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो hard copy (हिन्दी एवं अंग्रेजी), MS Word में CD के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 1000 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


  
16.1.2020  
(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक- प्र०-६/द०बि० नियम-०३-०८/२००६ (अंश)- ४४४ (५) / पटना, दिनांक 16/01/2020

प्रतिलिपि :- सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


  
16.1.2020  
(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक- प्र०-६/द०बि० नियम-०३-०८/२००६ (अंश)- ४४४ (५) / पटना, दिनांक 16/01/2020

प्रतिलिपि :- अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना/सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


  
16.1.2020  
(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक- प्र०-६/द०बि० नियम-०३-०८/२००६ (अंश)- ४४४ (५) / पटना, दिनांक 16/01/2020

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
16.1.2020  
(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक- प्र०-६/द०बि० नियम-०३-०८/२००६ (अंश)- ४४४ (५) / पटना, दिनांक 16/01/2020

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय website पर Upload करने हेतु प्रेषित।

  
16.1.2020  
(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार  
पथ निर्माण विभाग।

पत्रांक- प्र०-6/द०वि० नियम-03-08/06(अंश)- 449(S)  
प्रेषक,

पटना, दिनांक- 16/01/2020

अमृत लाल मीणा,  
प्रधान सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (रा०उ०प० सहित), पथ निर्माण विभाग।  
सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० सहित), पथ निर्माण विभाग।  
सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०प० सहित), पथ निर्माण विभाग।

प्रतिशत दर निविदा पद्धति में निविदित दर की न्यूनतम सीमा को तत्काल समाप्त कर परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धत दर वाले निविदा के लिए Additional Performance Guarantee के प्रावधान की स्वीकृति एवं उसके कार्यान्वयन हेतु दिशा- निर्देश।

उपर्युक्त विषयक विभागीय अधिसूचना संख्या-447(S), दिनांक 16.01.2020-सह-पठित ज्ञापांक-448(S), दिनांक 16.01.2020 द्वारा प्रतिशत दर निविदा (In Percentage Rate Tender) पद्धति में प्राप्त की जाने वाली सभी प्रकार की निविदाओं में निविदित दर की न्यूनतम सीमा को तत्काल समाप्त करते हुए परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धत दर वाले निविदा के लिए Additional Performance Guarantee का प्रावधान किया गया है।

इस संबंध में निदेशित किया जाता है कि वैसी निविदाएँ, जो निर्गत हो चुकी हैं तथा दिनांक 16.01.2020 के बाद प्राप्ति होनी है, उन सभी निविदाओं में प्राप्ति की तिथि का यथोचित अवधि विस्तार करते हुए उक्त निर्णय संबंधी शर्तें जोड़ी जाय।

कृपया इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासमाजन

16.01.20

(अमृत लाल मीणा)

ज्ञापांक- प्र०-6/द०वि० नियम-03-08/06(अंश)- 449(S) पटना, दिनांक 16/01/2020  
प्रतिलिपि: सभी कार्य विभागों के अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.01.20

(अमृत लाल मीणा)

ज्ञापांक- प्र०-6/द०वि० नियम-03-08/06(अंश)- 449(S) पटना, दिनांक 16/01/2020  
प्रतिलिपि: प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना/ मुख्य महाप्रबन्धक, बिहार राज्य पथ विकास निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.01.20


(अमृत लाल मीणा)

ज्ञापांक- प्र०-6/द०वि० नियम-03-08/06(अंश)- 449(S) पटना, दिनांक 16/01/2020  
प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.01.20

(अमृत लाल मीणा)

349  
झापांक- प्र०-6/द०वि० नियम-03-08/06(अंश)- 449 (S) पटना, दिनांक 16/01/2020  
प्रतिलिपि: प्रधान सचिव के आप्त सचिव, पथ निर्माण विभाग/ अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव, पथ  
निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
16.1.20  
(अमृत लाल मीणा)



पत्रांक- 1/PMC/विविध/957/2014 50

पटना, दिनांक :- 20/01/2020

प्रेषक,

अरुण कुमार द्विवेदी  
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)  
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (यांत्रिक सहित),  
जल संसाधन विभाग, बिहार।

विषय :- प्रतिशत दर निविदा पद्धति में निविदित दर की न्यूनतम सीमा को तत्काल समाप्त कर परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धत दर वाले निविदा के लिए Additional Performance Guarantee के प्रावधान की स्वीकृति एवं उसके कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देश।

प्रसंग :- पथ निर्माण विभाग का विभागीय अधिसूचना संख्या- 447(S), दिनांक-16.01.2020 एवं पत्रांक- 449(S), दिनांक-16.01.2020

महाशय,


निदेशानुसार कहना है कि उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के माध्यम से पथ निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में लागू प्रतिशत दर निविदा पद्धति में निविदित दर की न्यूनतम सीमा को तत्काल समाप्त कर परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धत दर वाले निविदा के लिए Additional Performance Guarantee के प्रावधान किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।

उक्त अधिसूचना संख्या- 447(S) दिनांक 16.01.2020-सह-पत्रित ज्ञापांक-448(S) दिनांक 16.01.2020 एवं इस अधिसूचना के क्रम में पथ निर्माण विभाग के पत्रांक- 449(S), दिनांक-16.01.2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश को जल संसाधन विभाग में भी तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनु० :- यथोक्त।

विश्वासभाजन



(अरुण कुमार द्विवेदी)


संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

पटना, दिनांक :- 20/01/2020

ज्ञापांक- 1/PMC/विविध/957/2014 50

प्रतिलिपि :- अभियंता प्रमुख, मुख्यालय/अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण/ अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल-2/3/ कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय/ बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :- यथोक्त।



(अरुण कुमार द्विवेदी)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

(28/2)

448(S)  
16/01/2020

बिहार सरकार  
पथ निर्माण विभाग  
अधिसूचना

1. पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-2046 (एस) दिनांक-06.03.2014 द्वारा प्रावधान किया गया है कि प्रतिशत दर निविदा (In Percentage Rate Tender) पद्धति में प्राप्त की जाने वाली सभी प्रकार की निविदाओं में निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा, परिमाण विपत्र की दर से 10 प्रतिशत कम पर निर्धारित रहेगी। 10 प्रतिशत से ज्यादा कम दर उद्धृत रहने वाली निविदायें अमान्य मानी जायेगी।

2. मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में कार्य विभागों के साथ बैठकें करके एवं तदोपरान्त समीक्षा में यह महसूस किया गया है कि सभी कार्य विभागों के लिए न्यूनतम सीमा को तत्काल समाप्त करके एक वर्ष के बाद इसकी गुण-दोषों की समीक्षा की जायेगी।

उक्त आलोक में एक निश्चित स्तर (परिमाण विपत्र की दर) के नीचे निविदित दर दिये जाने पर निम्नवत् अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) लेने का प्रावधान किया जाता है:-

(a) परिमाण विपत्र की दर से 0 से 5 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।


(b) परिमाण विपत्र की दर से 5 से 15 प्रतिशत कम उद्धृत कम दर वाले निविदा के लिए 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।

(c) परिमाण विपत्र की दर से 15 से 20 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 01 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।

(d) परिमाण विपत्र की दर से 20 प्रतिशत से ऊपर कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 02 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।


यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी रहेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेशानुसार

  
16.1.2020  
(अमृत लाल मीणा)  
प्रधान सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक- प्र०-6/द०बि० नियम-03-08/2008 (अंश)- 448(S) / पटना, दिनांक 16/01/2020  
प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


  
16.1.2020  
(अमृत लाल मीणा)  
प्रधान सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

क०प०उ०

ज्ञापक- प्र०-६/द०बि० नियम-०३-०८/२००६ (अंश)- ४४४ (५) / पटना, दिनांक 16/01/2020

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, ई गजट कोषाग, गजट वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो hard copy (हिन्दी एवं अंग्रेजी), MS Word में CD के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 1000 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


  
16.1.2020  
(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक- प्र०-६/द०बि० नियम-०३-०८/२००६ (अंश)- ४४४ (५) / पटना, दिनांक 16/01/2020

प्रतिलिपि :- सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


  
16.1.2020  
(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक- प्र०-६/द०बि० नियम-०३-०८/२००६ (अंश)- ४४४ (५) / पटना, दिनांक 16/01/2020

प्रतिलिपि :- अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना/सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


  
16.1.2020  
(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक- प्र०-६/द०बि० नियम-०३-०८/२००६ (अंश)- ४४४ (५) / पटना, दिनांक 16/01/2020

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
16.1.2020  
(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक- प्र०-६/द०बि० नियम-०३-०८/२००६ (अंश)- ४४४ (५) / पटना, दिनांक 16/01/2020

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय website पर Upload करने हेतु प्रेषित।

  
16.1.2020  
(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।



बिहार सरकार  
पथ निर्माण विभाग।

पत्रांक- प्र०-6/द०वि० नियम-03-08/06(अंश)- 449(S)  
प्रेषक,

पटना, दिनांक- 16/01/2020

अमृत लाल मीणा,  
प्रधान सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (रा०उ०प० सहित), पथ निर्माण विभाग।  
सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० सहित), पथ निर्माण विभाग।  
सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०प० सहित), पथ निर्माण विभाग।

प्रतिशत दर निविदा पद्धति में निविदित दर की न्यूनतम सीमा को तत्काल समाप्त कर परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धत दर वाले निविदा के लिए Additional Performance Guarantee के प्रावधान की स्वीकृति एवं उसके कार्यान्वयन हेतु दिशा- निर्देश।

उपर्युक्त विषयक विभागीय अधिसूचना संख्या-447(S), दिनांक 16.01.2020-सह-पठित ज्ञापांक-448(S), दिनांक 16.01.2020 द्वारा प्रतिशत दर निविदा (In Percentage Rate Tender) पद्धति में प्राप्त की जाने वाली सभी प्रकार की निविदाओं में निविदित दर की न्यूनतम सीमा को तत्काल समाप्त करते हुए परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धत दर वाले निविदा के लिए Additional Performance Guarantee का प्रावधान किया गया है।

इस संबंध में निदेशित किया जाता है कि वैसी निविदाएँ, जो निर्गत हो चुकी हैं तथा दिनांक 16.01.2020 के बाद प्राप्ति होनी है, उन सभी निविदाओं में प्राप्ति की तिथि का यथोचित अवधि विस्तार करते हुए उक्त निर्णय संबंधी शर्तें जोड़ी जाय।

कृपया इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासमाजन

16.01.20

(अमृत लाल मीणा)

ज्ञापांक- प्र०-6/द०वि० नियम-03-08/06(अंश)- 449(S) पटना, दिनांक 16/01/2020  
प्रतिलिपि: सभी कार्य विभागों के अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.01.20

(अमृत लाल मीणा)

ज्ञापांक- प्र०-6/द०वि० नियम-03-08/06(अंश)- 449(S) पटना, दिनांक 16/01/2020  
प्रतिलिपि: प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना/ मुख्य महाप्रबन्धक, बिहार राज्य पथ विकास निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.01.20


(अमृत लाल मीणा)

ज्ञापांक- प्र०-6/द०वि० नियम-03-08/06(अंश)- 449(S) पटना, दिनांक 16/01/2020  
प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.01.20

(अमृत लाल मीणा)

349  
झापांक- प्र०-6/द०वि० नियम-03-08/06(अंश)- 449 (S) पटना, दिनांक 16/01/2020  
प्रतिलिपि: प्रधान सचिव के आप्त सचिव, पथ निर्माण विभाग/ अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव, पथ  
निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
16.1.20  
(अमृत लाल मीणा)

**बिहार सरकार**  
**पथ निर्माण विभाग।**

पत्रांक- प्र०-6/द०वि० नियम-03-08/06(अंश)- 449(S)

पटना, दिनांक- 16/01/2020

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,  
प्रधान सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (रा०उ०प० सहित), पथ निर्माण विभाग।  
सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० सहित), पथ निर्माण विभाग।  
सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०प० सहित), पथ निर्माण विभाग।

विषय:- प्रतिशत दर निविदा पद्धति में निविदित दर की न्यूनतम सीमा को तत्काल समाप्त कर परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धत दर वाले निविदा के लिए Additional Performance Guarantee के प्रावधान की स्वीकृति एवं उसके कार्यान्वयन हेतु दिशा- निर्देश।


महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय अधिसूचना संख्या-447(S), दिनांक 16.01.2020-सह-पठित ज्ञापांक-448(S), दिनांक 16.01.2020 द्वारा प्रतिशत दर निविदा (In Percentage Rate Tender) पद्धति में प्राप्त की जाने वाली सभी प्रकार की निविदाओं में निविदित दर की न्यूनतम अधीसीमा को तत्काल समाप्त करते हुए परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धत दर वाले निविदा के लिए Additional Performance Guarantee का प्रावधान किया गया है।

इस संबंध में निदेशित किया जाता है कि वैसी निविदाएँ, जो निर्गत हो चुकी हैं तथा दिनांक 16.01.2020 के बाद प्राप्ति होनी है, उन सभी निविदाओं में प्राप्ति की तिथि का यथोचित अवधि विस्तार करते हुए उक्त निर्णय संबंधी शर्तें जोड़ी जाय।

कृपया इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।


विश्वासभाजन

  
16.01.20

(अमृत लाल मीणा)

ज्ञापांक- प्र०-6/द०वि० नियम-03-08/06(अंश)- 449(S) पटना, दिनांक 16/01/2020


प्रतिलिपि: सभी कार्य विभागों के अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
16.01.20

(अमृत लाल मीणा)

ज्ञापांक- प्र०-6/द०वि० नियम-03-08/06(अंश)- 449(S) पटना, दिनांक 16/01/2020


प्रतिलिपि: प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना/ मुख्य महाप्रबन्धक, बिहार राज्य पथ विकास निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
16.01.20

(अमृत लाल मीणा)

ज्ञापांक- प्र०-6/द०वि० नियम-03-08/06(अंश)- 449(S) पटना, दिनांक 16/01/2020


प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
16.01.20

(अमृत लाल मीणा)



झापांक- प्र०-६/द०वि० नियम-०३-०८/०६(अंश)- ४४९ (९) पटना, दिनांक १६/०१/२०२०  
प्रतिलिपि: प्रधान सचिव के आप्त सचिव, पथ निर्माण विभाग/ अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव प  
निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
१६.०१.२०  
(अमृत लाल मीणा)

**बिहार सरकार**  
**पथ निर्माण विभाग**  
**अधिसूचना**

447(5)

16/01/2020

1. पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-2046 (एस) दिनांक-06.03.2014 द्वारा प्रावधान किया गया है कि प्रतिशत दर निविदा (In Percentage Rate Tender) पद्धति में प्राप्त की जाने वाली सभी प्रकार की निविदाओं में निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा, परिमाण विपत्र की दर से 10 प्रतिशत कम पर निर्धारित रहेगी। 10 प्रतिशत से ज्यादा कम दर उद्धृत रहने वाली निविदायें अमान्य मानी जायेगी।

2. मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में कार्य विभागों के साथ बैठकें करके एवं तदोपरान्त समीक्षा में यह महसूस किया गया है कि सभी कार्य विभागों के लिए न्यूनतम सीमा को तत्काल समाप्त करके एक वर्ष के बाद इसकी गुण-दोषों की समीक्षा की जायेगी।

उक्त आलोक में एक निश्चित स्तर (परिमाण विपत्र की दर) के नीचे निविदित दर दिये जाने पर निम्नवत् अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) लेने का प्रावधान किया जाता है:-

(a) परिमाण विपत्र की दर से 0 से 5 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।


(b) परिमाण विपत्र की दर से 5 से 15 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।

(c) परिमाण विपत्र की दर से 15 से 20 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 01 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।

(d) परिमाण विपत्र की दर से 20 प्रतिशत से ऊपर कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 02 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी रहेगा।


बिहार राज्यपाल के आदेशानुसार

  
16.1.2020  
(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- प्र०-8/द०बि० नियम-03-08/2006 (अंश)- 448(5) / पटना, दिनांक 16/01/2020  
प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
16.1.2020  
(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।


क०पृ०उ०



ज्ञापांक- प्र०-६/द०बि० नियम-०३-०८/२००६ (अंश)- ४४४ (५) / पटना, दिनांक १६/०१/२०२०

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, ई गजट कोषाग, गजट वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो hard copy (हिन्दी एवं अंग्रेजी), MS Word में CD के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की १००० प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

  
१६-१-२०२०

(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- प्र०-६/द०बि० नियम-०३-०८/२००६ (अंश)- ४४४ (५) / पटना, दिनांक १६/०१/२०२०

प्रतिलिपि :- सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
१६-१-२०२०


(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- प्र०-६/द०बि० नियम-०३-०८/२००६ (अंश)- ४४४ (५) / पटना, दिनांक १६/०१/२०२०

प्रतिलिपि :- अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना/सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
१६-१-२०२०


(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- प्र०-६/द०बि० नियम-०३-०८/२००६ (अंश)- ४४४ (५) / पटना, दिनांक १६/०१/२०२०

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
१६-१-२०२०


(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- प्र०-६/द०बि० नियम-०३-०८/२००६ (अंश)- ४४४ (५) / पटना, दिनांक १६/०१/२०२०

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय website पर Upload करने हेतु प्रेषित।

  
१६-१-२०२०

(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

इंजीनियरिंग विभाग

संयुक्त सचिव (अभियंता)

सेवा में,

राष्ट्रीय मुख्य अभियंता (ग्रामिक सहित),

जल संसाधन विभाग, बिहार

पटना, दिनांक 12/06/2003

विषय-

दो करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले कार्यों के SIA के आधार पर प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड के निष्पादन हेतु नियत विभागीय दिश-निर्देश के संदर्भ में।

परिशे-

विभागीय पत्रांक-1/सी0एम0सी0विधि/629/2003-335 पटना, दिनांक 06.03.2009

सहायक,

उपरोक्त विषयक प्रसंगिक विभागीय पत्र द्वारा एक करोड़ रुपये एवं उसके उपर के मर्याद के लिए SIA के आधार पर प्राप्त होने वाले निविदाओं के तकनीकी बीड के निष्पादनार्थ विभागीय मार्गनिर्देश पूर्व से निर्गत है। इस निर्गत मार्गनिर्देश के आलेख में निविदाओं के तकनीकी बीड के निष्पादन में नवीकरणीय एवं प्राप्त होने वाले परिवर्तों के मदेनजर तथा बिहार लोक निर्माण संहिता के कतिपय कठिनाओं में पुनरीक्षण हो जाने के कारण विभागीय स्तर से पूर्ण से निर्गत दिशनिर्देश में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

2. विभागीय स्तर पर समयक राशीक्षणपरंतु यह निर्णय लिया गया कि SIA के आधार पर दो करोड़ रुपये से उपर के कार्यों के लिए प्राप्त होने वाले निविदाओं के निष्पादन में निम्न प्रतिष्ठा अपेक्षायी जाए:

(प) प्रथम प्रश्न: यह प्रश्न निविदाओं के तकनीकी बीड में सम्पन्न होने के लिए अभियंता होगी। इस प्रश्न पर उत्तरण वाले अपने वाले निविदाकारों के तकनीकी बीड प्राम में अस्वीकृत होगा एवं किसी भी हालत में विचारणीय नहीं होगा। इस प्रश्न में निम्न बिन्दु सम्मिलित होंगे-

(i) Registration (FIR & NIT)

(ii) Earnest Money (FIR-cl-16 & FIR)

(iii) Experience: Similar Nature of Work Executed [FIR-cl-5(A)(b)]

(Financial value)

(iv) Turn Over [FIR-cl-4.5(A)(a)]

संलग्न



(v) Legal Identity-Affidavit {Section 2-sl-2.1(i)}

- (ख) द्वितीय प्रक्रम:- इस प्रक्रम पर SBD के तहत eligibility criteria के निम्नांकित बिन्दुओं के संबंध में निविदाकारों को Clarification & Modification का अवसर दिया जायेगा एवं इस क्रम में उन्हीं कागजातों/अभिलेखों की मान्यता दी जाएगी जो निविदा प्राप्ति की तिथि के पूर्व के होंगे। निविदा प्राप्ति के बाद की तिथि के कागजातों/अभिलेखों की अनुमान्यता किसी भी हालत में नहीं दी जाएगी।


- (i) Technical Personnel {ITB-CI- 4.5 (B)(b)}
- (ii) Key Plant & Equipment {ITB-CI 4.5 (B) (a)}
- (iii) Experience in terms of quantity {ITB-CI 4.5 (A) (c)}
- (iv) Bid capacity {ITB-CI 4.7}
- (v) Programme of construction {ITB-CI 4.3& 4.5 (B) (a)}
- (vi) Labour License
- (vii) Power of Attorney {ITB CI- 4.2(iv)}
- (viii) Liquid asset & Credit Facility

- (ग) Litigation History, Investment Ability, Tender validity Period एवं Non association with departmental officials के अन्तर्गत SBD के प्रावधानों को पूरा करने/ पालन करने में जाँच की आवश्यकता नहीं होगी। यदि कोई संवेदक निविदा देता है (झालता है) तो यह माना जाएगा कि वे इन शर्तों को पूरा करते हैं। यदि बाद में पता चलता है कि वे इन शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो इसके आधार पर उन्हें किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी, बल्कि इसके लिए उनके विरुद्ध विभाग में लागू निबंधन नियमावली के अन्तर्गत कार्रवाई किया जा सकेगा।

- (घ) Proposal of Sub-Contract {ITB-CI-4.2(iii)} :- जब सम्वेदक प्राक्कलित राशि के 10 प्रतिशत से अधिक राशि के कार्याश को किसी एक सब-कन्ट्रैक्टर से कराने का प्रस्ताव देता है तो सब-कन्ट्रैक्टर के योग्यता आदि की जाँच करनी होगी। यदि सब-कन्ट्रैक्टर की योग्यता से विभाग संतुष्ट नहीं हो पाता है तो सम्वेदक को अपना प्रस्ताव वापस लेना होगा एवं उस भाग के कार्य को भी निविदादाता को स्वयं करने को तैयार होना पड़ेगा अन्यथा माना जायेगा कि निविदादाता कार्य कराने से भाग रहे हैं एवं उनका Earnest Money जब्त कर लिया जायेगा।

- (च) Joint Venture :- Joint Venture के रूप में निविदा में भाग लेने हेतु पथ निर्माण विभाग के जापांक प्रो0-6/नियम-02/2010-8131(S) पटना दिनांक 24.07.2012 में अंकित शर्तों (परिशिष्ट-1) का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

- (छ) निविदा आमंत्रण सूचना में एकरूपता रखने के उद्देश्य से निविदा आमंत्रण सूचना का Model Draft परिशिष्ट- (2) के रूप में संलग्न है।



(ज) एस0बी0डी0 के section-2 के तहत शपथ (Affidavit) संलग्न करने हेतु संशोधित शपथ पत्र (Affidavit) प्रारूप परिशिष्ट (3) के रूप में संलग्न है।

(झ) कार्यानुभव के तहत Common एवं Major Item of work के लिए ही अनुभव की मांग की जाए ना कि Minor Item के लिए।

उपरोक्त वर्णित मार्गनिर्देशों को आमंत्रित निविदाओं की शर्तों में शामिल करने हेतु सभी मुख्य अभियंता अपने-अपने प्रक्षेत्रों में सुनिश्चित करेंगे। यह दिशा निर्देश निर्गत तिथि से लागू मानी जाएगी। प्रासंगिक पत्र से निर्गत मार्गनिर्देश की अन्य कंडिकाएँ विलोपित समझा जाए।

अनु: अधीकृत।

विश्वासभाजन

  
13/6/2013

(एस0के0चटर्जी)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापक- 536

पटना, दिनांक - 13.06.2013

प्रतिलिपि अभियंता प्रमुख (उत्तर/मध्य)/सभी अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग संगठन/अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
13/6/2013

(एस0के0चटर्जी)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)



बिहार सरकार  
पथ निर्माण विभाग

पत्रांक-प्र0-6/नियम-02/2010 -

8131

पटना, दिनांक

24.7.12

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत  
सचिव,

31.7.12

सेवा में,

Sohail

प्रधान सचिव/सचिव, बिहार, पटना।  
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।  
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।  
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।  
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना।  
नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना।  
योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।  
निगरानी विभाग, बिहार, पटना।  
लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।  
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

विषय :-

Standard Bidding Document आधारित निविदाओं में Joint Venture  
के रूप में भाग लेने हेतु Joint Venture के शर्तों के उपबंध के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि राज्य में लागू Standard Bidding Document के Instruction to Bidders Chapter के कंडिका-4.4 में रुपये 10.00 करोड़ से अधिक प्राक्कलित राशि के निविदाओं में संवेदकों द्वारा Joint Venture के रूप में भाग लेने का प्रावधान है। किन्तु Joint Venture के लिए Criteria एवं Guideline का उपबंध नहीं होने के कारण इसके कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शन की अपेक्षा की जाती रही है।

तदनुसार सम्यक विचारोपरांत एवं सरकार के अनुमोदनोपरांत Standard Bidding Document में Joint Venture के लिए सामान्य Criteria एवं Guideline तथा Format for joint venture agreement का प्रावधान निम्नवत् किया जाता है :-


**Criteria for Joint venture participating in the bids for procurement of civil works.**

1. Bids from joint venture are only allowed for the works having estimated cost more than 10.00 cr. Bids submitted by a joint venture (JV) of not more than a total of three firms as partners shall comply with the following requirements :-



- (21)
- 1.1 There shall be a Joint Venture Agreement (Refer Annexure 1) specific for the contract package between the constituent firms, indicating clearly, amongst other things, the proposed distribution of responsibilities both financial as well as technical for execution of the work amongst them. For the purpose of this clause, the most experienced lead partner will be the one defined. A copy of the Joint Venture agreement in accordance with requirements mentioned in Annexure-I shall be necessarily submitted with the bid.
- 1.1.1 Alternatively, a letter of Intent to execute a JV in the event of successful bid shall be signed by all partners of JV and submitted with the bid together with a copy of the proposed agreement. Pursuant to the foregoing, the JV shall include among other things, the joint venture's objectives, the proposed management structure, the contribution of each partner to joint venture operation, the commitment of the partners to joint and several liability for due performance, recourse/sanctions within the joint venture in the event of default or withdrawal of any partner and arrangements for providing the required indemnities.
- 1.1.2 The JV so formed shall also have to be registered with the concerned department after issue of LOA but before the agreement.
- 1.2 The bid, and in the case of the successful bidder, the form of agreement, etc, shall be signed and /or executed in such a manner as may be required for making it legally binding on all partners (including operative parts of the ensuing contract in respect of Agreement of Arbitration, etc). On award of work, the Form of Agreement and Contract Documents shall be signed by all partners of the Joint Venture to conclude Contract Agreement.
- 1.3 Lead partner shall be nominated as being partner-in-charge; and this authorization shall be evidenced by submitting a power of attorney signed by the legally authorized signatories of all the partners.



- 
- 1.4 The partner-in-charge shall be authorized to incur liabilities and to receive instruction for and on behalf of the partners of the Joint venture, whether jointly or severally and entire execution of the Contract (including payment) shall be carried out exclusively through the partner-in-charge. A copy of the said authorization shall be furnished with the bid.
- 1.5 All partners of the Joint Venture shall be liable jointly and severally for the execution of the contract in accordance with contract terms, and a relevant statement to this effect shall be included in the authorization mentioned under sub clause (1.3) above as well as in the Form of tender and the Form of Agreement (in case of a successful bidder).
- 1.6 In the event of default, all the partners of the Joint venture will retain the full and undivided responsibility for the performance of their obligations under the contract and/or for satisfactory completion of the works.
- 1.7 The bid submitted shall include all the relevant information as required under the provisions of sub-clause 4.5 of ITB and furnished separately for each partner. The requirement of key plants & equipments construction equipments as per Annexure I of SBD testing equipment for establishing field laboratory key personnel to be employed on contract work as per Annexure II of SBD shall be counted altogether for the partners it shall be less than the requirement.
- 1.8 The bank guarantee/other suitable instrument in shape of bid security shall be issued in the name of JV and pledged in favor of employer.
2. Each partner of the JV must produce:
- 2.1 The Permanent account number (PAN) of Income Tax
- 2.2 An affidavit through 1<sup>st</sup> class Executive Magistrate that the information furnished with the bid documents is correct in all respect; and
- 2.3 Such other certificates as defined in the Appendix to ITB. Failure to produce the certificates shall make the bid non-responsive.

5a

3. Each bidder must demonstrate:-

- 3.1 Availability for construction work, either owned, or on lease or on hire, of the key equipment stated in the Appendix to ITB including equipments required for establishing field laboratory to perform mandatory test and those stated in the Appendix to ITB. The requirement of key plants & equipments construction equipments as per Annexure I of SBD testing equipment for establishing field laboratory key personnel to be employed on contract work as per Annexure II of SBD shall be counted altogether for the partners it shall be less than the requirement.
- 3.2 Availability for construction work of technical personnel as stated in the Appendix to ITB. The requirement of key plants & equipments construction equipments as per Annexure I of SBD testing equipment for establishing field laboratory key personnel to be employed on contract work as per Annexure II of SBD shall be counted altogether for the partners it shall be less than the requirement.
- 3.3 The joint venture must satisfy collectively the criteria laid down in para 3.1 & 3.2 above.
- 3.4 Liquid assets and/or credit facilities, net of other contractual commitments and exclusive of any advance payments which may be made under the Contract, of not less than the amount specified in the Appendix to ITB.
- 3.5 The bidder must not have in his employment.
  - 3.5.1 The near relations (defined as first blood relations, and their spouses, of the bidder or the bidder's spouse) or persons. The bidder must produce an affidavit stating that the near relations of the following departmental officers are not in his employment:  
JE/AE/EE/SE/CE/E-in- C & Divisional Accountant of an works department of Bihar State.




3.5.2 Without Government permission, any person who retired as gazetted officer within the last two years of the rank and from the departments. The bidder must produce an affidavit stating the names of retired gazetted officer (if any) in his employment who retired within the last two years with the following ranks from the departments listed below:

JE/AE/EE/SE/CE/E-in-C & Divisional Accountant of any works department of Bihar State.

In case there is no such person in his employment, his affidavit should clearly state this fact.

4. To qualify for a package of contracts made up of this and other contracts for which bids are invited in the Notice Inviting Tender, the bidder must demonstrate having experience and resources sufficient to meet the aggregate of the qualifying criteria for the individual contract.
5. If bidder is Joint venture, the partners would be limited to three (including lead partner). Joint venture firm shall jointly and severally responsible for completion of the project. Joint venture must fulfil the following minimum qualification requirement.
  - 5.1 The lead partner shall meet not less than **50% (fifty percent)** of qualification criteria given in sub-clause 4.2, 4.5 A, 4.5 B, 4.7 & 4.8 of ITB.
  - 5.2 Each of the remaining partners shall meet not less than **25% (Twenty five percent)** of all the qualifying criteria given in sub-clause 4.2, 4.5 A, 4.5 B, 4.7 & 4.8 of ITB.
  - 5.3 However in case one of the joint ventures partner is proposed to be included primarily to provide financial strength to the joint venture, such joint venture partner shall have to commit to provide liquidity support to the project to the extent of 10 % of the value of contract.
  - 5.4 The joint venture must also collectively satisfy the subject of the criteria of clause 4.2, 4.5 A, 4.5B, 4.7 and 4.8 of ITB for this purpose the relevant figures for each of the partners shall be 100% or more.

- 
- 5.5 In the event that the Employer has caused to disqualify under clause 4.8 of ITB and the constitutions stated below all of the Joint Venture partners will be disqualified.
- 5.6 Joint venture applicants shall provide a certified copy of the Joint venture Agreement in demonstration of the partners undertaking joint and several liabilities for the performance of any contract entered into with the bid.
- 5.7 The available bid capacity of the JV as required under clause 4.7 of ITB below will be applied for each partner to the extent of his proposed participation in the execution of the work. The total bid capacity available shall be more than estimated contract value.

**The available bid capacity will be calculated as under**

Assessed Available Bid capacity =  $(A * N * M - B)$

Where

- A = Maximum value of civil engineering works executed in any one year during the last five years (updated to the price level of the last year at the rate of 8 percent a year) taking into account the completed as well as works in progress.
- N = Number of years prescribed for completion of the works for which bids are invited.
- M = 3
- B = value, at the current price level, of existing commitments and on-going works to be completed during the period of completion of the works for which bids are invited.

**Note:** The statements showing the value of existing commitments and on-going works as well as the stipulated period of completion remaining for each of the works listed should be countersigned by the Engineer in charge, not below the rank of an Executive Engineer or equivalent.

6. Sub-Contractor's (duly authorized) experience and resources shall be taken into account in determining the bidder's compliance with the qualifying criteria. The sub contractor's role may be verified by the employer.



7. Qualification of a joint venture does not necessarily qualify any of its partners individually or as a partner to any other joint venture. In case of dissolution of a joint venture, each one of the constituent firms may qualify if they meet all the qualification requirements subject to the written approval of the Employer.
8. The rescinding of contract of a joint venture on account of reasons other than non-performance, such as most experienced partner of joint venture pulling out, court direction leading to breaking up of a joint venture before the start of work, which are not attributable to the poor performance of the contractor will, however, not affect the qualification of the individual partners.

विश्वासभाजन  
(प्रत्यय अगृत)  
सचिव.  
25/1